हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम A Govt. of India Enterprise)

एच आर HR / 2026/ 62 . दिनांक Date: 05.05.2026

परिपत्र CIRCULAR

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम पर संवेदीकरण कार्यक्रम
SUB:- SENSITIZATION PROGRAMME ON RIGHT TO INFORMATION ACT

सामान्य जन और एचओसीएल के अधिकारियों के बीच सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये सत्र आधे दिन के होंगे।
It has been decided to conduct Sensitization programmes on RTI Act for getting awareness among General Public and Officers of HOCL. The sessions will be conducted on half day basis.

सामान्य जन के लिए सत्र 06.05.2026 (बुधवार) को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। श्री रमेश ओ, मुख्य प्रबंधक (एचआर/ओएल) सत्र का संचालन करेंगे।
For General Public, the session will be conducted on 06.05.2026 (Wednesday) from 02.00 PM to 05.00 PM at our Training Centre. Sri. Ramesh O, Chief Manager (HR/OL) will handle the session.

अधिकारियों के लिए सत्र 07.05.2026 (गुरुवार) को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक हमारे सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा। श्री रमेश ओ, मुख्य प्रबंधक (एचआर/ओएल) और श्री जितेंद्र मलिक, मुख्य प्रबंधक (एमएसएस/वित्त/एचआर) संयुक्त रूप से सत्र का संचालन करेंगे।
For Officers, the session will be conducted on 07.05.2026 (Thursday) from 10.00 AM to 01.00 PM at our Conference Hall. Sri. Ramesh O, Chief Manager (HR/OL) and Sri. Jitender Malik, Chief Manager (MSS/Fin/HR) will handle the sessions together.

अभिलाष आर Abhilash R.

(अभिलाष आर **ABHILASH R)**
मुख्य प्रबंधक (एच आर) CHIEF MANAGER (HR)

सेवा में To:
सभी विभागाध्यक्ष All HODs
सभी विभाग/अनुभाग All Departments/Sections
सभी सूचना पट्ट All Notice Boards

प्रतिलिपि CC: **कार्यपालक निदेशक एवं इकाई प्रभारी** ED & UIC

RTI Awareness Sessions / आरटीआई संबंधी शैक्षणिक सत्र

लोकतंत्र को मजबूत करने में सूचना का अधिकार अधिनियम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। "जानने का अधिकार वाकई जीने का अधिकार है"। सूचना प्रौद्यिगिकी के दौर में विश्वभर की सभी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो रही है। लेकिन भारत के अधिकांश नागरिकों को अपने कई अधिकारों के बारे में की जानकारी बहुत कम है चाहे वह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हो या आरटीआई जैसे अधिनियम हो। यह केवल अनपढ़ की बात नहीं है, बल्कि पढ़े-लिखे नागरिक और सरकारी कर्मचारी की बात भी है। यही स्थिति सूचना का अधिकार अधिनियम की है। इसके अधीन नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी है। सरकारी कामकाज में जबाबदेही बनाने, पारदर्शिता लाने और भष्टाचार कम करने में इस अधिनियम को लाया गया। आरटीआई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य एचओसीएल में आरटीआई शैक्षणिक सत्र आयोजित किया गया।

The Right to Information Act has played a pivotal role in strengthening democracy. "The Right to Know is, indeed, the Right to Live." In this era of information technology, information from across the globe is easily accessible to us. However, the majority of Indian citizens possess very limited knowledge regarding their various rights—whether they are the Fundamental Rights enshrined in the Constitution or statutory rights granted by acts such as the RTI Act. This lack of awareness is not limited to the illiterate; it extends even to educated citizens and government employees. The situation is no different regarding the Right to Information Act; there is a distinct lack of awareness concerning the rights conferred upon citizens under this legislation. This Act was enacted with the specific objectives of fostering accountability in government functioning, enhancing transparency, and curbing corruption. With the aim of raising awareness about the RTI Act, educational session was conducted at Training Hall, HOCL, Kochi.

यह सत्र कंपनी में आम जनता के लिए आयोजित किया गया था। इस सत्र के दौरान, प्रतिभागियों को इस अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई–विशेष रूप से, इस कानून के तहत नागरिकों के रूप में उनके क्या अधिकार हैं, जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, RTI आवेदन कैसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार की जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है, और इस अधिनियम का समग्र दायरा, सीमाएँ और शर्तें क्या हैं। कई प्रतिभागियों को पहले यह पता नहीं था कि RTI अधिनियम में क्या शामिल है। उन्हें यह गलतफहमी थी कि यह अधिनियम केवल सरकार से संबंधित है और आम जनता या साधारण नागरिकों को इससे कोई ठोस लाभ नहीं मिलता है। सत्र के बाद, उन्हें यह एहसास हुआ कि RTI अधिनियम वास्तव में एक शक्तिशाली साधन है जो लोकतांत्रिक ढाँचे को मज़बूत बनाने का काम करता है। इस सत्र में कुल 20 नागरिकों ने भाग लिया। इस सत्र का संचालन HOCL के जन सूचना अधिकारी, श्री रमेश ओ. ने किया।

The session was organized for the general public at the company. During this session, participants were provided with comprehensive information regarding the Act—specifically, what their rights are as citizens under this legislation, the procedure for obtaining information, how to draft an RTI application, the types of information that can be requested, and the Act's overall scope, ambit, and conditions. Many participants were previously unaware of what the RTI Act entailed. They had held the misconception that the Act pertained solely to the government and offered no tangible benefits to the general public or ordinary citizens. Following the session, they realized that the RTI Act is, in fact, a powerful tool that serves to reinforce the democratic framework. A total of 20 citizens participated in this session. The session was conducted by Mr. Ramesh O, the Public Information Officer at HOCL.